

झारखण्ड सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग
खान निदेशालय
कार्यालय आदेश

का०आ०सं०-ख०नि०(स्था०)-03/2026

46

/एम०, राँची, दिनांक- 31.07.2026

दिनांक-30.07.2026 को सम्पन्न स्थापना समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में खान निदेशालय के अन्तर्गत क्षेत्रीय कार्यालयों में पदस्थापित खान निरीक्षकों को स्थानान्तरित करते हुए निम्नलिखित तालिकानुसार उनके नाम के सम्मुख स्तंभ (4) में अंकित कार्यालय में अगले आदेश तक खान निरीक्षक के रिक्त पद पर पदस्थापित/प्रतिनियुक्त किया जाता है :-

क्र०	नाम/पदनाम	वर्तमान पदस्थापन कार्यालय	स्थानान्तरण के फलस्वरूप नव पदस्थापन कार्यालय	अभ्युक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	श्री विनोद बिहारी प्रमाणिक, खान निरीक्षक	उप निदेशक, खान का कार्यालय, कोल्हान अंचल, चाईबासा	जिला खनन कार्यालय, रामगढ़।	-
2.	श्री जितेन्द्र कुमार महतो, खान निरीक्षक	जिला खनन कार्यालय, बोकारो	उप निदेशक, खान का कार्यालय, संथाल परगना अंचल, दुमका	-
3.	श्री सुमित प्रसाद, खान निरीक्षक	उप निदेशक, खान का कार्यालय, दक्षिणी छोटानागपुर अंचल, राँची	जिला खनन कार्यालय, पाकुड़।	श्री प्रसाद अगले आदेश तक खान निरीक्षक, जिला खनन कार्यालय, साहेबगंज के कार्यों का भी निष्पादन करेंगे।
4.	श्री अजीत कुमार चौधरी, खान निरीक्षक	उप निदेशक, खान का कार्यालय, उत्तरी छोटानागपुर अंचल, हजारीबाग	जिला खनन कार्यालय, जामताड़ा।	-
5.	श्री विजय करमाली, खान निरीक्षक	उप निदेशक, खान का कार्यालय, पलामू अंचल, मेदिनीनगर	जिला खनन कार्यालय, राँची। प्रतिनियुक्त-जिला खनन कार्यालय, खूँटी।	श्री करमाली प्रतिनियुक्ति के साथ-साथ खान निरीक्षक, जिला खनन कार्यालय, राँची के कार्यों का भी निष्पादन करेंगे।
6.	श्री आदर्श कुमार गुप्ता, खान निरीक्षक	उप निदेशक, खान का कार्यालय, संथाल परगना अंचल, दुमका	जिला खनन कार्यालय, सरायकेला-खरसावाँ।	-
7.	श्री रौशन कुमार, खान निरीक्षक	जिला खनन कार्यालय, राँची	उप निदेशक, खान का कार्यालय, कोल्हान अंचल, चाईबासा।	-
8.	श्री अरविन्द उराँव, खान निरीक्षक	जिला खनन कार्यालय, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर	जिला खनन कार्यालय, गुमला।	श्री उराँव अगले आदेश तक खान निरीक्षक, जिला खनन कार्यालय, सिमडेगा के कार्यों का भी निष्पादन करेंगे।
9.	श्री देवानन्द शर्मा, खान निरीक्षक	जिला खनन कार्यालय, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा	जिला खनन कार्यालय, लातेहार।	-
10.	श्री नीरज कुमार, खान निरीक्षक	जिला खनन कार्यालय, गुमला	उप निदेशक, खान का कार्यालय, दक्षिणी छोटानागपुर अंचल,	

संलग्न

३

			राँची। प्रतिनियुक्त खान निदेशालय, राँची।	
11.	श्री पद्मलोचन ओहदार, खान निरीक्षक	जिला खनन कार्यालय, लातेहार	जिला खनन कार्यालय, राँची।	-
12.	श्री अकलेश कुमार, खान निरीक्षक	जिला खनन कार्यालय, जामताड़ा	उप निदेशक, खान का कार्यालय, उत्तरी छोटानागपुर अंचल, हजारीबाग।	-
13.	श्री समीर कुमार ओझा, खान निरीक्षक	जिला खनन कार्यालय, सरायकेला-खरसावाँ	जिला खनन कार्यालय, हजारीबाग।	-
14.	सुश्री स्नेहा गुप्ता, खान निरीक्षक	जिला खनन कार्यालय, राँची	अपर निदेशक, खान का कार्यालय, राँची। प्रतिनियुक्त-खान निदेशालय, झारखण्ड, राँची।	सुश्री गुप्ता आवश्यकतानुसार खान निरीक्षक, अपर निदेशक, खान का कार्यालय, राँची के कार्यों का भी निष्पादन करेंगी।
15.	श्री शुभम दत्ता, खान निरीक्षक	जिला खनन कार्यालय, सिमडेगा।	जिला खनन कार्यालय, गिरिडीह।	-

2- उपरोक्त सभी खान निरीक्षकों की इसके पूर्व की गई सभी प्रतिनियुक्ति/अतिरिक्त प्रभार को एतद् द्वारा समाप्त किया जाता है।

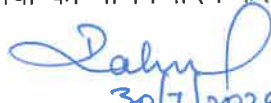
3- सभी स्थानान्तरित खान निरीक्षक अनिवार्य रूप से दिनांक-04.08.2026 तक नव पदस्थापन कार्यालय में योगदान देना सुनिश्चित करेंगे। संबंधित अपर निदेशक, खान/उप निदेशक, खान/जिला खनन पदाधिकारी आदेश प्राप्ति के पश्चात् अविलम्ब इन्हें विरमित करना सुनिश्चित करेंगे अन्यथा स्थानान्तरित खान निरीक्षक उक्त निर्धारित तिथि के पश्चात् स्वतः विरमित समझे जायेंगे।

4- उपरोक्त खान निरीक्षकों का माह अगस्त, 2026 से वेतनादि की निकासी उनके नव पदस्थापन कार्यालय से की जायेगी।

5- श्री सत्येन्द्र सोरेन, खान निरीक्षक, जिला खनन कार्यालय, हजारीबाग को अगले आदेश तक जिला खनन कार्यालय, चतरा में प्रतिनियुक्त किया जाता है।

6- श्री हरेन्द्र कुमार गुप्ता, खान निरीक्षक, जिला खनन कार्यालय, पलामू अगले आदेश तक अपने कार्यों के अतिरिक्त उप निदेशक, खान का कार्यालय, पलामू अंचल, मेदिनीनगर के कार्यों का भी निष्पादन करेंगे।

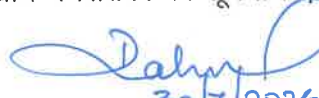
7- यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।


30/7/2026
(राहुल कुमार सिन्हा)
निदेशक, खान

ज्ञापांक-

1951 / एम०, राँची, दिनांक- 31.07.2026

प्रतिलिपि-अपर निदेशक, खान, राँची/सभी उप निदेशक, खान, झारखण्ड/सभी जिला खनन पदाधिकारी, झारखण्ड/सभी कोषागार पदाधिकारी, झारखण्ड/सभी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/सभी पदाधिकारी/कमी, खान निदेशालय, झारखण्ड, राँची/सभी स्थानान्तरित खान निरीक्षकों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


30/7/2026
निदेशक, खान

ज्ञापांक-

1951 / एम०, राँची, दिनांक- 31.07.2026

प्रतिलिपि-सचिव के प्रधान आप्त सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग, झारखण्ड, राँची / खान आयुक्त, झारखण्ड के प्रधान आप्त सचिव, झारखण्ड, राँची/निदेशक, खान, झारखण्ड के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।


30/7/2026
निदेशक, खान